Text&Context

THEMAHINDU

भारत के संघीय ढांचे का महत्व

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग की क्या स्थिति है? भारतीय संविधान में राज्यों के निर्माण की क्या प्रक्रियाएँ हैं? राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है? क्या जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं?

EXPLAINER

C. B. P. Srivastava

अब तक की कहानी:

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर केंद्र से विस्तृत जवाब मांगा है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के महत्व को ध्यान में रखँते हुए, शीर्ष अदालत ने सही कहा कि उसके पास सभी विशेषज्ञताएँ नहीं हैं और सरकार को कुछ निर्णय लेने हैं। अदालत ज़हर अहमद भट बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। तर्क दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल न करने से वहाँ के नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इस संदर्भ में एक और तर्क यह है कि इससे संघवाद की आवश्यक विशेषताओं और इस प्रकार संविधान के मूल ढांचे का भी उल्लंघन हो रहा है।

राज्यों का निर्माण कैसे होता है?

भारत के संविधान में राज्यों के निर्माण के लिए तीन प्रक्रियाएँ निहित हैं - प्रवेश, स्थापना और निर्माण। भारत के क्षेत्र में किसी नए राज्य के प्रवेश के लिए, उस इकाई की अपनी संगठित राजनीतिक इकाई होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि अधिग्रहण के माध्यम से प्रवेश अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्देशित हो। यह वह प्रक्रिया थी जिसके तहत 1947 में जम्म और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम्, 1947 के प्रावधानों के तहत इस पत्र को निष्पादित करके, कश्मीर के तत्कालीन शासक, महाराजा हरि सिंह ने अपने राज्य को भारत में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की थी।

एक नए राज्य की स्थापना के लिए, अंतर्राष्टीय कानून में अधिग्रहण की परिभाषा के अनुसार क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाएगा। भारत ने गोवा और सिक्किम का अधिग्रहण किया और उन्हें राज्यों के रूप में स्थापित किया।

एक नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, वास्तव में, एक मौजूदा राज्य का पुनर्गठन रही है, जिसके कारण भारत ने 1956 में अपने 14 राज्यों की संख्या को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अधिनियमन से पहले 29 राज्यों तक बढ़ा दिया।





<mark>हिस्सित के ब्लिट:</mark> कार्यस कार्तकपा 50 चैंबाई का चर्म्म में चर्म्म-क्रमार का राज्य का देंचा बंधाब करन की मांग को लेकर विरोध मार्च में भाग लेते हुए। पीटीआई

संविधान का अनुच्छेद 3 पुनर्गठन की इस प्रक्रिया का प्रावधान करता है जिसके तहत संसद कानून बनाकर किसी राज्य के भु-भाग को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी भु-भाग को किसी राज्यें के भाग में मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है; किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है; किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है; किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है; या किसी राज्य का नाम बदल सकती है। हालाँकि, संघ किसी राज्य के क्षेत्रफल को कम तो कर सकता है, लेकिन उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उससे कुछ नहीं छीन सकता। यह भारत की संघीय संरचना के विरुद्ध कदम होगा। इसलिए, केंद्र के लिए जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना अनिवार्य है। जमीनी स्तर पर स्थिति के आधार पर वह कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकता

भारत के संघीय ढाँचे के बारे में क्या?

भारत को राज्यों का संघ बनाया गया है जिसका अर्थ है कि यह अविभाज्य है और राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 के इस प्रावधान की व्याख्या इस अर्थ में की जा सकती है कि 'इंडिया' शब्द एकात्मक संघ को दर्शाता है, जबकि 'भारत' शब्द एक सांस्कृतिक अर्थ रखता है जो दर्शाता है कि भारत की एक मिश्रित संस्कृति है और विविधता में एकता विद्यमान है।

द्विस्तरीय शासन प्रणाली होने के बावजूद, इसमें 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि 'संघ' स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस अनूठी विशेषता के पीछे का उद्देश्य भारत के संघीय चरित्र और एकात्मक भावना को सुनिश्चित करना है।

यह संरचना संविधान के दर्शन के अनुरूप है। जहाँ 'संघ' शब्द का स्पष्ट प्रयोग केंद्र को राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाता है, वहीं संघीय चरित्र का निर्माण संसाधनों के समान वितरण के लिए किया गया है। जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। यही कारण है कि भारत के संघीय चरित्र को संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया गया है। संघीय संरचना के बिना, भारत का संघ अपना अस्तित्व खो देगा। इसलिए, अनुच्छेद 83 (1) के तहत राज्यसभा को एक स्थायी सदन बनाया गया है, जिसमें लिखा है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। भारत के एकात्मक संघ को बनाए रखने और उसे कायम रखने के लिए संघ स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व हमेशा बना रहना चाहिए। इसलिए, संघ की पवित्रता की रक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना अनिवार्य है।

ध्यातव्य है कि 11 दिसंबर, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद ३७० और ३५A को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था और केंद्र सरकार को जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया था। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर 2024 में हुए थे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि न्यायालय द्वारा निर्धारित राज्य का दर्जा बहाल किया जाए।

आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल करने से निश्चित रूप से जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार सशक्त होगी और उपराज्यपाल की शक्तियाँ कम हो जाएँगी, जिससे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की वर्तमान स्थिति प्रभावित होगी। अगर इस पर सहमति हो जाती है, तो यह भारत की संवैधानिक संरचना के साथ असंगत होगा और निश्चित रूप से इसकी संघीय विशेषताओं को नष्ट कर देगा।

C. B. P. Srivastava is President, Centre for Applied Research in Governance, Delhi.

THE GIST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर केंद्र से विस्तृत जवाब माँगा है।

भारत के संविधान में राज्यों के निर्माण के लिए तीन प्रक्रियाएँ निहित हैं - प्रवेश, स्थापना और निर्माण।

द्वि-स्तरीय शासन प्रणाली होने के बावजूद, इसमें 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि 'संघ' स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इस अनुठी विशेषता के पीछे का उद्देश्य भारत के संघीय चरित्र और एकात्मक भावना को सुनिश्चित करना है।

ओर्का मछलियाँ मनुष्यों को ताज़ा शिकार क्यों दे रही हैं?

क्या ये किलर व्हेलें शिकार को छोड़ने या पुनः प्राप्त करने से पहले मानव प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही हैं?

Rohini Karandikar

अब तक की कहानी:

कई ओर्का, जो डॉल्फ़िन की सबसे बड़ी प्रजाति हैं और जिन्हें अक्सर किलर व्हेल कहा जाता है, ताज़ा शिकार को इंसानों के साथ साझा करते पाए गए हैं। और वे सिर्फ़ अपना शिकार पेश नहीं करते: वे इंसानों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करते हैं। जर्नल ऑफ़ कम्पेरेटिव साइकोलॉजी में प्रकाशित एक नए अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने इस बात की जाँच की है कि ओर्का इंसानों को भोजन क्यों दे रहे हैं।

टीम ने आँकड़े कैसे एकत्र किए?

हालाँकि ओर्का को सामाजिक प्राणी माना जाता है, लेकिन वे इंसानों के साथ बहुत कम बातचीत करते हैं। शोध दल ने 2004-2024 की अवधि के आँकड़े पाँच महासागरीय भागों से एकत्र किए: पूर्वी उत्तरी प्रशांत, पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत, पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत, पश्चिमी दक्षिणी अटलांटिक और पूर्वी उत्तरी अटलांटिक। टीम ने अपने विश्लेषण में केवल उन्हीं उदाहरणों को शामिल किया जहाँ जानवरों के पास आने से पहले मानव पर्यवेक्षक ओर्का से काफ़ी दूरी उदाहरण के लिए, पानी के नीचे भोजन के समय मनुष्यों के लिए मानदंड यह था कि वे किलर व्हेल से संपर्क करने से पहले कम से कम 15 मीटर दूर रहें। तब जॉनवर अपनी शरीर की लंबाई के भीतर आ जाते और अपने शिकार को उनके शरीर के सामने छोड़ देते।

क्या ओर्का बुद्धिमान होते हैं?

टीम जिन 34 मामलों को अंतिम रूप दे पाई, उनमें से 33 मामलों में ओर्का ने पेश किए गए शिकार को स्वीकार करने या छोड़ने से पहले मानव प्रतिक्रिया का इंतजार किया और पीछे हट गए। उनके द्वारा पेश किए गए भोजन में समुद्री शैवाल, अकशेरुकी, मछली, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल थे। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने शुरू में इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में बे सेटोलॉजी अनुसंधान संस्थान के एक समुद्री जीवविज्ञानी, जेरेड टावर्स, उनमें से एक थे। "मैंने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया क्योंकि जब यह हुआ तो मुझे सदमा लगा," श्री टावर्स ने कहा। "और क्या करना है, यह तय करने के लिए केवल कुछ सेकंड होते हैं। बस देखना आसान है।" मनुष्यों की तरह, ओर्का भी अपनी खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। शरीर के आकार की तुलना में इनका मस्तिष्क भी बड़ा होता है। शोध ने इस विशेषता को बेहतर संज्ञान, सीखने और सामाजिक व्यवहार से जोड़ा है। ओर्का समूह में रहते हैं और शिकार करते हैं जिसका नेतृत्व एक मातृसत्तात्मक महिला, सबसे वृद्ध महिला, करती है, और समूह का व्यवहार काफी हद तक मातृसत्तात्मक महिला पर निर्भर

ओर्का क्या कर रहे हैं?

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किलर व्हेल शायद बस खेल रही होती हैं। हालाँकि, यह गतिविधि आमतौर पर बच्चों से जुड़ी होती है, जबकि नए अध्ययन में पाया गया कि वयस्क और किशोर दोनों ही मनुष्यों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। जानवर भी तभी खेलते हैं जब उनकी पोषण संबंधी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती हैं। हालाँकि, अध्ययन में पाया गया कि आधे मामलों में, किलर व्हेल पूरा शिकार खिला रही थीं, आंशिक रूप से नहीं। To Read UPSC Edition on daily basis with MCQ's so please message at 8168305050

लेखकों ने कहा कि इन्हीं कारणों से, किलर व्हेल खेल नहीं रही होंगी, बल्कि खोजबीन कर रही होंगी।

जानवर अपने भौतिक, सामाजिक और/या पर्यावरणीय परिवेश के बारे में अनिश्चितता को कम करने के लिए अपने परिवेश का अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण तकनीकी रूप से ज्ञान की सचेत खोज है और डॉल्फ़िन की विकसित बुद्धि को दर्शाता है। कुछ उदाहरणों में, जब मनुष्यों ने शिकार को वापस फैंका, तो ओर्का ने तुरंत जवाब दिया, जिससे पता चलता है कि वे सीखँ रहे थे कि मनुष्य क्या पसंद करते हैं। श्री टावर्स ने कहा, "इनमें से कुछ चीज़ें खेल से जुड़ी हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीज़ों को वैज्ञानिक सोच के रूप में भी परिभाषित किया जा संकता है, जिसे प्रश्न पूछने और फिर उत्तर खोजने की क्षमता के रूप में वर्णित किया गया है।" हालाँकि जानवरों का व्यवहार सामाजिक और परोपकारी प्रतीत होता था, शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि उनके कार्य व्यक्तिगत लाभ के लिए चालाकीपूर्ण या भ्रामक हो सकते हैं। किलर व्हेल मछलियाँ चुराने और जहाजों को नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरह का व्यवहार करती हैं।

क्या ये निष्कर्ष संरक्षण में मददगार हैं?

जैसे-जैसे मनुष्य और ओर्का व्हेल के बीच बातचीत बढ़ती जाती है, ओर्का व्हेल अपने व्यवहार को ज्यादा दोस्ताना या ज्यादा शत्रुतापूर्ण बना सकते हैं, जो समूह का नेतृत्व करने वाली मादा व्हेल पर निर्भर करता है। ये बातचीत किलर व्हेल के बारे में इंसानों की जिज्ञासा बढ़ा सकती है और संरक्षण प्रयासों में सुधार ला सकती है।

रोहिणी करंदीकर एक विज्ञान शिक्षिका हैं और टीएनक्यू फ़ाउंडेशन के साथ काम करती हैं।

THE GIST

यद्यपि ओर्का को सामाजिक प्राणी माना जाता है, फिर भी वे मनुष्यों के साथ बहुत कम बातचीत करते हैं।

टीम जिन 34 मामलों को अंतिम रूप देने में सफल रही, उनमें से 33 मामलों में ओर्का ने मानव प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की, उसके बाद उन्होंने अपने शिकार को छोड़ दिया या पुनः अपने स्थान पर लौट गए।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किलर व्हेल शायद बस खेल रही होंगी। हालाँकि, यह गतिविधि आमतौर पर बच्चों से जुड़ी होती है, जबकि नए अध्ययन में पाया गया है कि वयस्क और बच्चे दोनों ही इंसानों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं।